

11785 (93)  
182

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur

Phone: +91 141 2222469

Fax No.: +91 141 2222403

web site : www.lsgraj.org

( ) 55 PA/ACE/DLB/WO/CLUSTER 11 ISWM/2013/12770

Date 16/12/13

WORK ORDER

Tandon Urban Solution Pvt. Ltd. (TUSPL)

701, Harbhaajan Building, Kalina, Santacruz (E), Mumbai 400098

Fax: 022-26655335 Mob: 09867687797 email:

[tandonandassociates@gmail.com](mailto:tandonandassociates@gmail.com)

Sub : Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for 14 clusters.

Ref : NIT no. 6902, dated 08-08-2013

Your proposal dated 13.09.2013 and negotiation on dated 30.09.2013

This is to notify you, that the Director Local Bodies, Raj. Jaipur accepted your proposal dated 13.09.2013 based on QCBS. Negotiation was held on dated 30.09.2013. We are pleased to award the work of Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for cluster no. 11.

1. The contract value for the above tasks is Rs 35.00 Lacs exclusive Service Tax after negotiation. You are to carry out the above mentioned work for the following towns:


S.No	Cluster No	Name of ULB/ Combination of ULB
1.	11	1. Municipal Council, Barmer 2. Municipal Council, Balotra 3. Municipal Council, Jalore 4. Municipal Board, Bhinmal 5. Municipal Board, Sanchole

2. Date of start and date of completion the above mentioned work is as under:

Date of Start of Work: 20.12.2013

Date of Completion of Work: 18.06.2014.

3. All the terms and conditions of original RFP will be applicable to this work.
4. All the Provision of the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013" shall be applicable.
5. So you are requested to prepare the form of agreement, in duplicate on Govt. non-judicial stamp paper of Rs 1000/- and meet the undersigned at the address provided, during normal office hours on working day for signing the agreement within 10 days from the issue of this work order as per RFP. One copy of signed agreement will be providing to you for your files, and the other will remain with us.

  
(Tara Chand Meena)  
Deputy Secretary

WORK ORDER

Urban Management Consultants  
B-404, 4<sup>th</sup> Floor, Gala Argos, Nr Harikripa Towers  
Gujarat College Road, Ahmedabad, Gujarat  
Email: [info@urbanmanagementconsultants.com](mailto:info@urbanmanagementconsultants.com)

b) : Preparation of Detailed Project Report (DPR) ,providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for 14 clusters.

c) : NIT no. 6902 dated 08-08-2013

Your proposal dated 13.09.2013 and negotiation on dated 30.09.2013

It is to notify you, that the Director Local Bodies, Raj. Jaipur accepted your proposal dated 13.09.2013 based on QCBS. Negotiation was held on dated 30.09.2013. We are pleased to award the work of Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for cluster no. 12.

1. The contract value for the above tasks is Rs 46.00 Lacs exclusive Service Tax after negotiation. You are to carry out the above mentioned work for the following towns:


S.No	Cluster No	Name of ULB/ Combination of ULB
1.	12	1. Municipal Council, Pali 2. Municipal Council, Bhilara 3. Municipal Board, Sojat 4. Municipal Board, Pipar City 5. Municipal Council, Sirohi 6. Municipal Board, Pidwara 7. Municipal Board, Sheoganj 8. Municipal Board, Sumerpur


Date of start and date of completion the above mentioned work is as under:

Date of Start of Work: 20.12.2013

Date of Completion of Work: 18.06.2014

- All the terms and conditions of original RFP will be applicable to this work.
- All the Provision of the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013" shall be applicable.
- So you are requested to prepare the form of agreement, in duplicate on Govt. non-judicial stamp paper of Rs 1000/- and meet the undersigned at the address provided, during normal office hours on working day for signing the agreement within 10 days from the issue of this work order as per RFP. One copy of signed agreement will be providing to you for your files, and the other will remain with us.

  
मुख्य अभियन्ता  
निदेशालय स्थानीय निकाय  
राज. जयपुर

  
(Tara Chand Meena)  
Deputy Secretary

11707  
95

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur

+91141 2222469

Fax No.: +91 141 2222403

web site : www.lsgraj.org

SS PA/ACE/DLB/WO/CLUSTER-13 ISWM/2013/12 822

Date 16/12/13

WORK ORDER

G System South Asia Pvt. Ltd.  
F, AADI Building, 2, Balbir Saxena Marg  
Gurgaon, New Delhi 110016  
Phone: 011-45974597 Fax: 011-26562050 e-mail: [Krishna@irgssa.com](mailto:Krishna@irgssa.com)

1. Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for 14 clusters.

2. NIT no. 6902 dated 08-08-2013  
Your proposal dated 13.09.2013 and negotiation on dated 30.09.2013

It is to notify you, that the Director Local Bodies, Raj. Jaipur accepted your proposal dated 09.09.2013 based on QCBS. Negotiation was held on dated 30.09.2013. We are pleased to award the work of Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for cluster no. 13.

1. The contract value for the above tasks is Rs 39.50 Lacs exclusive Service Tax after negotiation. You are to carry out the above mentioned work for the following towns:


S.No	Cluster No	Name of ULB/ Combination of ULB
1.	13	1. Municipal Council, Beawar 2. Municipal Board, Kekri 3. Municipal Council, Bhlwara 4. Municipal Board, Gulabpura 5. Municipal Board, Jahajpur 6. Municipal Board, Shahpura 7. Municipal Council, Chittorgarh 8. Municipal Board, Kapanan 9. Municipal Board, Nimbahara 10. Municipal Board, Rawatbhata

2. Date of start and date of completion the above mentioned work is as under:

Date of Start of Work: 20.12.2013

Date of Completion of Work: 18.06.2014

- All the terms and conditions of original RFP will be applicable to this work.
- All the Provision of the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013" shall be applicable.
- So you are requested to prepare the form of agreement, in duplicate on Govt. non-judicial stamp paper of Rs 1000/- and meet the undersigned at the address provided, during normal office hours on working day for signing the agreement within 10 days from the issue of this work order as per RFP. One copy of signed agreement will be providing to you for your files, and the other will remain with us.

  
मुख्य अभियंता  
पि.स. विभाग  
जयपुर

  
(Tara Chand Meena)  
Deputy Secretary

83

11788  
105  
96

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)  
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur  
91141 2222469 Fax No.: +91 141 2222403 web site : www.lsgraj.org  
55 P/ACE/DLB/WO/CLUSTER 14 ISWM/2013/12850 Date 16/12/13

WORK ORDER

Urban Management Consultants  
B-3-404, 4<sup>th</sup> Floor, Gala Argos, Nr Harikripa Towers  
Gujarat College Road, Ahmedabad, Gujarat  
Email: [info@urbanmanagementconsultants.com](mailto:info@urbanmanagementconsultants.com)

1. Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for 14 clusters.

2. NIT no. 6902 dated 08-08-2013

Your proposal dated 13.09.2013 and negotiation on dated 30.09.2013

This is to notify you, that the Director Local Bodies, Raj. Jaipur accepted your proposal dated 13.09.2013 based on QCBS. Negotiation was held on dated 30.09.2013. We are pleased to award the work of Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for cluster no. 14.


1. The contract value for the above tasks is Rs 45.00 Lacs exclusive Service Tax after negotiation. You are to carry out the above mentioned work for the following towns:

S.No	Cluster No	Name of ULB / Combination of ULB
1.	14	1. Municipal Council, Pratapgarh 2. Municipal Board, Bari Sadri 3. Municipal Board, Choti Sadri 4. Municipal Council, Banswara 5. Municipal Board, Kusalgarh 6. Municipal Council, Dungarpur 7. Municipal Board, Sagwara

2. Date of start and date of completion the above mentioned work is as under:  
Date of Start of Work: 20.12.2013

Date of Completion of Work: 18.06.2014

3. All the terms and conditions of original RFP will be applicable to this work.
4. All the Provision of the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013" shall be applicable.
5. So you are requested to prepare the form of agreement, in duplicate on Govt. non-judicial stamp paper of Rs 1000/- and meet the undersigned at the address provided, during normal office hours on working day for signing the agreement within 10 days from the issue of this work order as per RFP. One copy of signed agreement will be providing to you for your files, and the other will remain with us.

  
श्री अमित  
निदेशक, स्थानीय निकाय  
जयपुर

(Tara Chand Meena)  
Deputy Secretary



84

11789  
115  
115

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)  
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur

2222469

Fax No.: +91 141 2222403

web site : www.lsgraj.org

/CE/DLB/SBM/Preparation of CSP and DPR for ISWM/2014/ 11456-219 Date 18/05/15

Commissioner/Executive Officer

Municipal Corporation/Council/Board

Saner Sara, Vijay agar, Rajah, Viratnagar, Shahpura, Tijara, Desnok, Gangapur,  
Dandargarh, Asind, Deeg, Nagar, Kama, Wair, Sangod, Bhusawar, Mangrol, Sangod,  
Mawa, Ideraarh, Kapren, Fatehnagar, Bhinder, Kanod, Ratannagar, Bisau, Bidasar,  
Baldesar, Bari, Srikananpur, Kesarisingshpur, Gajsingshpur, Padampur, Anoopgarh,  
Adra, Phalodi, Pokran, Chaksu, Bagru, Chomu, Fulera, Jobner, Kishangarh-Renwal,  
Abhar, Surajgarh, Khetri, Srimadhampur, Ramgarhshekhawati, Jaitaran, Balli, Falna,  
Bri, K. i, Takhatgarh, Mundwa, Losal, Begun, Amet, Devgarh, Maipura, Salumbhar,  
hooon, Ramganjmandi,

Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) for Integrated Solid Waste Management  
under Swachh Bharat Mission (SBM) 2014  
Guidelines issued by MoUD GoI for Swachh Bharat Mission (SBM) in Dec. 2014

In connection of above subject GOI has launched Swachh Bharat Mission (SBM), The Mission  
is in force till 2<sup>nd</sup> October 2019. The Mission has the following components viz: Household  
sanitation, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines; Community toilets  
& toilets, Solid waste management IEC & Public Awareness and Capacity building and  
Administrative & Office Expenses (A&OE).

For effective implementation of the Swachh Bharat Mission Detailed Project Reports (DPR) for  
Integrated Solid Waste Management along with City Sanitation Plans (CSPs) should be required  
as per the guidelines of MoUD. DPRs and CSPs are under preparation for most of ULBs for  
starting ULBs process for hiring consultancy should be started. MoUD, GoI has provided a  
Empanelled Agencies list for providing technical support to the ULBs for solid waste  
management. ULBs may consider to avail this panel of agencies for preparing DPRs.  
Further, ULBs will verify before award of work to any of the empanelled agencies to ensure  
that they are not debarred by any Government/Department for award of work.

Therefore you are requested to start process for and Detailed Project Report (DPR) for  
Integrated Solid Waste Management along with Preparation of City Sanitation (CSP) under  
Swachh Bharat Mission (SBM) 2014.

As above

(Purushottam Biyani)  
Director cum Joint Secretary  
dated 18/05/15  
11820-942

- ( ) Enngg/CE/DLB/SBM/Preparation of CSP and DPR for ISWM/2014/  
Following for information & NA
- Copy to Principal Secretary LSG, GoR
- Copy to Mayor/President/Chairman
- Copy to Director cum Joint Secretary, LSG, GoR
- Copy to Mission Director (SBM) Ministry of Urban Development Nirman Bhawan, New Delhi 110011
- Chief Accounts Officer, DLB
- Chief Engineer, DLB
- Deputy Director (Regional) -----
- CE/CE/SE/EE Municipal Corporation/Council/Board all
- MARK with the request to upload on website
- Hard file

Chief Engineer

11790 (98)

**Government of Rajasthan**  
**Local Self Government Department**  
**(Directorate Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)**

G-3, Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur

Tel No.: +91141 2222469 Fax No.: +91 141 2222403 web site : www.lsgraj.org

No: F ( )55 PA/CE/DLB/WO/CLUSTER 1-14 ISWM/2013/663-813

Date 17/07/14

**Chief Executive Officer/Commissioner/Executive Officer**

Bharatpur/Kumher / Nadbai / Kherli / Bayana / Todabheem / Dausa / Lalsot /  
Bandikul/Ganganagar/ Sadulsahar/ Suratgarh/ Ralsinghnagar/ Vijaynagar/ Hanumangarh/  
Pilibanga/ Sangaria/ Nohar/ Rawatsar/ Nagaur/ Makrana/ Deewana/ KuchamanCity/ Nawa/  
Merta city/ Kuchera/ Ladnu/ Nokha/ Churu/ Ratangarh / Rajgarh / Sardarsahar / Dungargarh  
/ Taranagar / Chhapar/ Sikar/Lakhmangarh/Fatehpur Shekhawati/ Khandela/ Lakhmangarh/  
Neemkathana/ Sujangarh/ Ringus/ Jhunjhunu / Nawalgarh / Mukundgarh / Mandawa /  
Chirawa / Bagar / Piloni / Vidyavihar / Udaipurwati/ Alwar / Bhiwari / Behrod / Nimrana /  
Khertal / Kishanbas / Kotputli/ Baran / Anta / Chhabra / Aklera / Bundi / Lakheri /  
Keshevraipatan / Jhalawar / Jhalrapatan / Pindwara / Bhawanimandi/ Dholpur / Rajakhera /  
Karauli / Hindoncity/ Sawai Madhopur / Gangapur City / Tonki / Deoli / Newai / Uniyara /  
Todaraisingh/ Barmer / Balotra / Jalore / Bhinmal / Sanchoreshore/  
Pali/Sojat/Bilara/Piparcity/Soroht/Pindwara/Sheoganj/Sumerpur/  
Beawar/Kekri/Bhilwara/Gulabpura/Jahajpur/Shahpura/Chittorgarh/Kapasan/Nimbahera/Rawa  
tbhata/ Pratapgarh/Bari Sadri/Choti Sadri/Banswara/Kusalgarh/Dungarpur/Sagwara

**Sub :** Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for 14 clusters.

**Ref :** NIT no. 6902 dated 08-08-2013 work order and agreement

Director Local Bodies, Raj. Jaipur has awarded the work of Preparation of Detailed Project Report (DPR) providing Transaction Advisory (TA) Services for Integrated Solid Waste Management (ISWM) projects on PPP basis for ULBs for **cluster no. 1 to 14**. Agreements have been executed by consultants.

Consultants have to mobilize their team for preparation of respective DPRs in accordance to Terms of Reference (ToR). DPRs have to be prepared based on data whatsoever available with you.

Therefore you are requested to co-operate concerned consultant and expedite the matter for preparation of solid waste management detailed project reports.


3  
(Tara Chand Meena)  
Director

No: F ( )55 PA/ACE/DLB/WO/CLUSTER 1-14ISWM/2013/814-831

Date: 17/07/14

Copy to following for information:

1. PS to Principal Secretary UDH&LSG, GoR
2. PS to Secretary , LSG GoR
3. ED, RUIFDCO, Jaipur
4. Team Leader, RUIFDCO, Jaipur
5. Deputy Director (Regional) Local Bodies, Jaipur
6. Consultant M/s -----
7. Guard File

  
2014/11x  
Chief Engineer

99

11791

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)  
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur  
Tel No.: +91 141 2222469 Fax No.: +91 141 2222403 web site : www.lsgraj.org  
o: F 55 ( ) Enngg./CE/DLB/SBM/2014/ 21835 Date 10/08/15

Ms Shubha Thakur  
Director (SBM, PHE, Heritage)  
Ministry of Urban Development  
Nirman Bhawan, New Delhi 110011

Sub: Details of expenditure of Central Assistance Released as 1<sup>st</sup> Installment for  
Implementation of Swachh Bharat Mission-2014 (SBM) in Rajasthan  
Ref: Your mail about details of expenditure of 1<sup>st</sup> Installment

Respected Madam

Government of Rajasthan has prepared Policy guidelines for Open Defecation Free (ODF) Rajasthan as well as for implementation of municipal solid waste management in all 187 ULBs. As per the Swachh Bharat Mission guidelines action plan has been prepared by Local Self Government (LSG) for construction of Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines; Community toilets Public toilets, Solid waste management IEC & Public Awareness and Capacity building and Administrative & Office Expenses (A&OE).

Earlier, vide referred letters a Proposal in prescribed formats has been sent to Ministry for providing funds for year 2015-19 under Swachh Bharat Mission guidelines. We received Rs 60.73 crore as 1<sup>st</sup> installment and disbursed along with State share Rs 33.00 crore to ULB for implementation of SBM components.


Total requirement of funds are envisaged Rs 746.17 crore based on the guidelines of SBM out of which Rs 60.73 crore has been received as 1<sup>st</sup> installment from GoI.

Required information are hereby furnished in prescribed format about details of expenditure of central assistance toward implementation for further release of fund.

I assure you that State Government is constantly taking interest to Rajasthan will try to implement Swachh Bharat Mission 2014.

Thanks

Encl: Details of Central Assistance Released as on date

  
(Purushottam Biyani)  
Director cum Joint Secretary

11792

100

Details of Expenditure of Central Assistance Released as on 03.08.2015  
Toilets

Component- 1

1(a) Individual Household Toilets (IHHTs)

A	Mission Period Physical Target	No of Units	572212
B	Mission Period Central Assistance Amount (CAA-IHHT) Allocated	Rs Lakh	22888.48
C	CAA-IHHT Received so far		1903
	1 <sup>st</sup> Release		1903
	2 <sup>nd</sup> release		
	Total CAA-IHHT Received by State	Rs Lakh	1903
D	CAA-IHHT Utilized as 1 <sup>st</sup> Installment (50% released to Beneficiary)*	Rs Lakh	1903
E	CAA-IHHT Utilized as 2 <sup>nd</sup> Installment (As balance of Contribution to Beneficiary on Completion)	Rs Lakh	0
F	Total CAA-IHHT Utilized		0
G	No of Toilet Units Completed	No of Units	Work in progress
G	CAA-IHHT Unutilized	Rs Lakh	0

Proposal for Current Year 2015-16

J	Target Number of Toilets	No of Units	222022
K	Demand of CAA-IHHT for 1 <sup>st</sup> Installment to Beneficiary (fresh Toilets)	Rs Lakh	4440.44
L	Demand of CAA-IHHT for 2 <sup>nd</sup> Installment to Beneficiary (Completion)	Rs Lakh	4440.44
M	Total Demand	Rs Lakh	8880.88
N	Balance CAA-IHHT after this release (B- (C+M))	Rs Lakh	12104.6

Note: CAA-IHHT = Rs 4000/- per IHHT unit for General States and Rs 4800/- per IHHT unit for North Eastern States including Sikkim and the Special Category States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand). \*money has been transferred to concerned ULBs to release to beneficiaries which is being transfer in beneficiary bank account by ULBs

1(b) Community Toilets (CTs)

A	Mission Period Physical Target	No of Seats	5690
B	Mission Period Central Assistance Amount (CAA-CT) Allocated	Rs Lakh	3573
C	CAA-CT Received so far		13
	1 <sup>st</sup> Release		13
	2 <sup>nd</sup> release		
	Total CAA-CT Received by State	Rs Lakh	13
D	No of Community Toilet Seats Completed	No of Seats	100
E	CAA-CT Utilized	Rs Lakh	13
F	CAA-CT Unutilized	Rs Lakh	0

Proposal for Current Year 2015-16

G	Target Number of Community Toilet Seats	No of Seats	3000
H	Demand for CAA-CT in 2015-16	Rs Lakh	780



11793 (101)

J	Balance CAA-CT after this Release (B- (C+G) Rs Lakh	2780	
Note: CAA-CT = Rs 26000/- per Community Toilet Seat for General States and Rs 31200/- per CT Seat for North Eastern States including Sikkim and the Special Category States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand)			
<b>Component- 2: Solid Waste Management (SWM)</b>			
A	Mission period Central Assistance Amount (CAA-SWM) Earmarked	39762	Rs Lakh
B	CAA-SWM Obtained so far	3365	
	1 <sup>st</sup> Release	3365	
	2 <sup>nd</sup> release		
	Total CAA-SWM Obtained by State	3365	Rs Lakh
C	Total CAA-SWM Utilized	tender under progress	Rs Lakh
<b>Details of Utilization of CAA-SWM</b>			
#	Title of Project	Project Cost (Rs lakhs)	CAA-SWM Projected (Rs Lakhs)
			CAA-SWM Utilized (Rs lakh)
i)			
ii)			
iii)			
	TOTAL		*(Should match with row C above)
<b>Proposal for Current Year 2015-16</b>		19881	Rs Lakh
D	Demand for CAA-SWM in 2015-16		
<b>Action Plan 2015-16</b>			
#	Title of Project	Project Cost (Rs lakhs)	CAA-SWM Demanded (Rs Lakhs)
			Anticipated Achievement %
i)			
ii)			
iii)			
	TOTAL		*(Should match with row D above)
E	Balance CAA-SWM after this release (A-(B+D)	16516	Rs Lakh
Note: CAA-SWM = Rs 240/- per capita for General States and Rs 288/- per Capita for North eastern States including Sikkim and the Special Category States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand). The design population is 80% of the state's projected urban population in yr 2019 at a growth of 2% per annum.			
<b>Component- 3 Information, Education and Communication (IEC) and Public Awareness (PA)</b>			
A	Mission period Central Assistance Amount (CAA-IEC) Allocated	6501	Rs Lakh

11794 (102)

B	CAA-IEC Received so far	634	
	1 <sup>st</sup> Release	634	
	2 <sup>nd</sup> release		
	Total CAA-IEC Received by State	634	Rs Lakh
C	Total CAA-IEC Utilized		Rs Lakh
<b>Proposal for Current Year 2015-16</b>			
D	Demand for CAA-IEC in 2015-16	3155	Rs Lakh
E	Balance CAA-SWM after this release (A-(B+D))	2712	Rs Lakh
Component- 4 Capacity Building (CB), Administrative and Office Expenses (A&OE)			
A	Mission period Central Assistance Amount (CAA-CB) Allocated	1893	Rs Lakh
B	CAA-CB Received so far	158	
	1 <sup>st</sup> Release	158	
	2 <sup>nd</sup> release		
	Total CAA-CB Received by State	158	Rs Lakh
C	Total CAA-CB Utilized		Rs Lakh
<b>Proposal for Current Year 2015-16</b>			
D	Demand for CAA-CB in 2015-16	946	Rs Lakh
E	Balance CAA-CB after this release (A-(B+D))	789	Rs Lakh

d  
(E & Sharma)  
(E DUB)

Annex - 170  
11795 (103)

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur  
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur  
Tel No. +91 141 2722403 Fax No. +91 141 2722403 web site : www.cmar-india.org  
No. F 55 ( ) PA/CE/DLB/SP/103/15/1555 Date 13/05/15

**Minutes of Meeting**

Sub: Door to door collection, Secondary storage & transportation of waste (C&T) and Design, construction, operation and maintenance of processing facility (except Jaipur, Jodhpur, Kota cities) under the guidelines of Swachh Bharat Mission (SBM) The Ministry of Urban Development (MoUD), GoI for implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 and revised from time-to-time.

A meeting was held in the Chairmanship of Principal Secretary, LSG on 06.05.2015 at 11:30 AM at Conference Hall, Sawayat Shasan Bhawan (DLB), Jaipur. The list of the participants is as per the Annexure-A.

Chief Engineer, DLB in his welcome remarks to the participants informed that tender was invited for concerned cluster ULB for Door to door collection, Secondary storage & transportation of waste (C&T) and Design, construction, operation and maintenance of processing facility (except Jaipur, Jodhpur, Kota cities) under the guidelines of Swachh Bharat Mission (SBM) The Ministry of Urban Development (MoUD), GoI for implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 and revised from time-to-time. Bids were received for 3 clusters out of 11 clusters. Due to poor response of bidders it was felt that suggestions of prospective bidders might be taken into account and accordingly FRP may be modified. A sheet has been delivered to all prospective Bidders for their valuable suggestions/comments.

It was discussed in the meeting that every ULB has to ensure compliance of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000. Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2015 has also been issued by MoEF, GoI and available on website.

Chair has directed to strict compliance of MSW Rules and takes effective action for implementation of Swachh Bharat Mission.

It was discussed Request for Proposal (RFP) might be invited by concerned cluster head ULB/ULB as per below:

**Package 1:** Door to door collection and transportation of MSW up to processing plant/sanitary landfill site single package for small towns for big cities it may be zone wise or may be single as per the local conditions. Time period of the contract agreement should be 10 years and further 5 years extendable based on performance and mutual agreement of both parties towards making project more viable.

**Package 2:** Design, construction, operation and maintenance of processing facility for Processing of MSW by using suitable technology (Compost+RDF, Bio-methanation). Time period of the contract agreement may be 15 years and further 5 years extendable based on performance and mutual agreed of both parties towards making project more viable. Waste to energy plants proposed for Jaipur, Kota and Jodhpur.

**Package 3:** Design, construction, operation and maintenance of engineering sanitary landfill site for disposal of MSW. Time period of the contract agreement should be 15 years and further 5 years extendable based on performance and mutual agreed of both parties towards making project more viable. Processing plant for C&D waste may be planned for useful bi product like eco-bricks etc.

28

11796 (104)

It was discussed and decided that tenders would be invited by cluster head ULB/ULB for package 1, package 2, package 1&2 both if feasible and for package 3 based on Detailed Project Report(DPR). DPRs should be submitted before High Powered Committee by concerned ULB.

It was discussed and decided that qualification criteria may be modified to encourage competition. Experience of sanitary landfill site, Bio- medical waste treatment facility would be taken into account.

It was discussed that user charges for door to door collection would be collected for viability of project as per the notification issued by LSG. The following method may be used for user charges collection.

- i. User charges from individual households would be collected by concerned ULB and to be deposited in dedicated account (Escrow account) for MSW.
- ii. User charges from commercial activities would be collected by service provider (contractor) and account statement should be submitted by contractor along with monthly bill for payment.

It was discussed that willingness to pay of user charges by service user be increased based on performance of service provider. Efficiency of collection of charges may be increased to minimum 50% level to 90% year by year.

Payment of services to be made from escrow account to contractor. Escrow account will be top up by grant provided by GoI/GoR, TFC/SFC/Urban cess grant towards solid waste management, ULBs own resources and user charges whatever collected by ULB.

It was discussed that subsidy on compost/RDF by Ministry of Fertilizer/Ministry of Power shall be availed by the contractor/service provider. The contractor/service provider shall make efforts to get Carbon Credits at his own cost for SWM project work undertaken by him. ULB shall extend all necessary help to the contractor/service provider in the form of giving information available with the Authority, signing applications to the authorities as may be required for getting the Carbon Credits. Benefits of carbon credits shall be shared as 50:20 (Contractor: ULB).

It was discussed and decided that preparation of DPRs along with provisions of CSP should be completed by ULBs up to 31.05.2015 positively. Online tenders should be invited by concerned cluster head ULB/ULB as per prevailing rules.

It was discussed and decided that existing contract for municipal solid waste management may be extended as and when required by next 6 months or execution of new contractor whichever is earlier.

It was discussed and decided that beat(s) based bids would not be invited for street sweeping & cleaning work, if required bids would be invited by ULBs based on work performance i.e. length of street sweeping as per prevailing rules.

The meeting concluded with a vote of thanks to all.  
Encl: As above

(Purushottam Blyani)  
Director cum Joint Secretary

Date: 13/05/15

11516-723

No: F 55 ( ) PA/CE/OLB/SWM-Collection-Transportation-processing/2014/  
Copy to following for information and necessary action:

1. PS to Principal Secretary LSG, GoR
2. PS to Director cum Joint Secretary, LSG
3. Chief Accounts Officer, DLB
4. Chief Engineer, OLB
5. Commr./EO Municipal Corporation/Council/Board of Cluster centre ULB/ULB for compliance
6. Executive Engineer, concerned ULB
7. Assistant Engineer, OLB
8. Prospective Bidder M/s-----
9. CMAR with the request to upload on website

Chief Engineer

11797 (05)

Corporation/Council/Board of State of Rajasthan clubbed in 11 clusters for Door to door collection, Secondary storage & transportation of waste (C&T) and Design, construction, operation and maintenance of processing facility (except Jaipur, Jodhpur, Kota cities) for following towns under the guidelines of Swachh Bharat Mission (SBM) The Ministry of Urban Development (MoUD) GoI for Single stage two envelopes unconditional sealed on line bids are invited on behalf of Governor of Rajasthan by Municipal Implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000.

A Meeting is scheduled to be held on 06.05.2015 at 11:30 Hrs at Swayat Shasan Bhawan, Directorate of Local Bodies, Rajasthan Jaipur.

RECORD OF ATTENDANCE

S. No.	Name	Designation/Name of firm	Phone/Mobile/e-mail	Signature
1.				
2.	K. K. Sharma	CE DUD	98281-94003	
3.	Gr. S. Hada	CE NNT	94141-81770	
4.	NAZIR Gori	A. En. M.C. BKN	76118-57714	
5.	Mohan Singh	J. En. M.B. Sumetpur Raj.	08233333344	
6.	Praveen Dularia	ST Nagar Palika Sikar	9672995559	
7.	Hema Ram	En. M.C. Chum	9166990779	
8.	Pranil Kati	Gen. M.C. L.	9967651695	
9.	Pran Jai	- mtr		
10.	m. m. Mathur	En	9413684829	
11.	Pradeep Nathani	All. Clust. M.C. Ajmer	9420-79648	
12.	Dinesh Goyal	En. Engr. M.C. Tonk	9887483491	
13.	Sanjay Vijay	A. En. M.C. Jhalawar	9414750542	
14.	Praveen Kumar	JEN. M.C. SIKAR	7737209216	
15.	Rakesh K. Sharma	En. M.C. Sonwar Jaipur	9414030434	
16.	Dilip Sharma	Comm. M.C. Jaipur	9414727349	
17.	Jalendra Sharma	Comm. M.C. Jaipur	9414388859	
18.	Rohit Chandra	Comm. M.C. Jaipur	9414743899	
19.	Abhullesh Mishra	Infra En(S) Pvt Ltd	08965050752	
20.	Raj Kumar	Infra En(S) Pvt Ltd	09845678515	
21.	Rijendra Singh	CHES (W&S) Jaipur	9709632947	

11798  
106

S. No.	Name	Designation/Name of firm	Phone/Mobile/e-mail	Signature
22.	Jilendra Tak DURGAAN SAKI	DUNGA IMPACT PROP	9829118210	<i>Jilendra</i>
23.	Dhanu Kumar	D. Co High profile PROM	9414471096	Suniro
24.	Om Prakash Nandaram	Nagan Prasad Sankar	9782791471	<i>Om</i>
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur

Tel No.: +91 141 2222455

Fax No.: +91 141 2222403

web site : www.lsgraj.org

No: F 55 ( ) PA/CE/DLB/SBM-SWM-Collection-Transportation-processing/2014/16168

Date 18/01/15

**Notice Inviting Request for Proposal (RFP)**

(For publication in the Newspapers)

Online Technical and Financial Bids in Single Stage two envelopes are invited on behalf of Governor of Rajasthan by Directorate of Local Bodies for 15 clusters of ULBs for Design, construction, operation and maintenance of processing facility under the guidelines of Swachh Bharat Mission (SBM) The Ministry of Urban Development (MoUD), GoI for implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 and revised from time-to-time.

Details may be seen in the Request for Proposal (RFP) of respective package of cluster towns at our office or the website of the State Public Procurement Portal [www.cmar-india.org](http://www.cmar-india.org), <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> and may be downloaded from these websites.

(Purushottam Blyani)  
Director cum Joint Secretary

No: F 55 ( ) PA/CE/DLB/SWM-Collection-Transportation/2014/16165-16185

Date 18/01/15

Copy to following for information:

1. SA to Hon'ble Minister UDH&LSG, GoR
2. PS to Principal Secretary LSG, GoR
3. PS to Director cum Joint Secretary, LSG
4. CAO, DLB
5. Commissioner/Executive Officer, Municipal Corporation/Council/Board Beawar/Barmer/Bikaner/Baran/Churu/Hanumangarh/Jhalawar/Jhunjhunu/Sikar/Rajsmand/Swaimadhopur/Karauli/Tonk/Udaipur/Abu Road with the request to upload on <http://sppp.rajasthan.gov.in> and <http://eproc.rajasthan.gov.in> websites.
6. Commissioner, Municipal Council, for publication of NB in One leading Regional daily newspaper, one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more, One all India level daily newspaper with wide circulation and Director General, Intelligence and Statistics, Kolkata for publication in Indian Trade Journal
7. Notice Board.....

Chief Engineer

Proposal for processing of municipal solid waste in major towns /clusters

S.No.	Cluster No.	Name of ULB	Name of ULBs	Population (As per census 2011)	Qty of garbage generated @ 400 gm p. capita p. day (in MT)	Qty of biodegradable garbage 40-55% of total (in MT)
1	1	Beawar	Beawar	151152	60	30
2	2	Barmer	Barmer	96225	38	19
3	3	Bikaner	Bikaner	644406	258	129
4	4	Baran	Baran	117992	47	24
5			Anta	32377	13	6
6				150369	60	30
7	5	Churu	Churu	120157	48	24
8			Ratanagar	12841	5	3
9			Bisau	23227	9	5
10				156225	62	31
11	6	Hanumangarh	Hanumangarh	150958	60	30
12	7	Jahalawar	Jahalawar	66919	27	13
13			Jhalrapatan	37506	15	8
14	8	Jhunjhunu	Jhunjhunu	118473	47	24
15			Baggar	14238	6	3
16				132711	53	27
17	9	Sikar	Sikar	244497	98	49
18	10	Rajsamand	Rajsamand	67798	27	14
19			Nathdwara	42016	17	8
20				109814	44	22
21	11	Sawaimadhopur	Sawaimadhopur	121106	48	24
22	12	Karauli	Karauli	82960	33	17
23			Gangapurcity	119090	48	24
24			Hindaun city	105452	42	21
25				307502	123	62
26	13	Tonk	Tonk	165294	66	33
27			Newai	37765	15	8
28				203059	81	41
29	14	Udaipur	Udaipur	451100	180	90
30	15	Abu Rd	Abu Rd	55599	22	11
31			M. Abu	22943	9	5
				78542	31	16



11801 (109)

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)  
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur

Tel No.: +91 141 2222469 Fax No.: +91 141 2222403 web site: www.lsgraj.org  
No. F 55 ( ) PA/CE/DLB/SBM\_SWM-SBM\_processing/2015/20067

Date 29/07/15

**Notice Inviting Request for Proposal (RFP)**

Online Technical and Financial Bids in Single Stage two envelopes are invited on behalf of Governor of Rajasthan by Directorate of Local Bodies for 15 clusters of ULBs for Design, construction, operation and maintenance of processing facility under the guidelines of Swachh Bharat Mission (SBM) The Ministry of Urban Development (MoUD), GoI for Implementation of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 and revised from time-to-time. The bidding schedule (date & time) are hereby revised as detailed below:

Events	Earlier	Revised
Request for Proposal Submission End Date & Time	10.08.2015 at 15:00 Hrs on <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>	24.08.2015 at 15:00 Hrs on <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
physically submit the DD for tender fee and processing fee, DD/BG for Bid Security	11.08.2015 at 14:00 Hrs	25.08.2015 at 14:00 Hrs at concerned cluster head ULB
Technical Bid Opening Date & Time	11.08.2015 at 15:00 Hrs	25.08.2015 at 15:00 Hrs at concerned cluster head ULB

Details may be seen at our office or the website of the State Public Procurement Portal <http://sppn.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> and may be downloaded from these websites. All other terms and conditions shall as per the RFP.

(Purushottami Bhanal)  
Director cum Joint Secretary

Date 29/07/15

No. F 55 ( ) PA/CE/DLB/SBM\_SWM-SBM\_processing/2015/20068-20090

Copy to following for information & na:

1. SA to Hon'ble Minister UD&LSG, GoR
2. PS to Principal Secretary LSG, GoR
3. PS to Director cum Joint Secretary, LSG
4. CE, DLB
5. CAO, DLB
6. CEO/Comm./EO Municipal Corporation/Council/Board of Cluster centre ULB for uploading on their SPP Portal as well as on eproc system immediately
7. Commissioner, Municipal Council Swamnadhopur for publication of corrigendum in One leading Regional daily newspaper, one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more, One all India level daily newspaper with wide circulation in which NITFP is published
8. Notice Board.....

Chief Engineer

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

3 + ~~मुद्रांक~~ (110)  
1182 Annex - A/7  
(110)

क्रमांक :- एफ.6 (9) प्र.सु.वि./अनु.-3/2015

दिनांक 12-2-2015

आज्ञा

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.12.2014 को "स्वच्छ भारत मिशन" 2014 कार्यक्रम के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट [moud.gov.in](http://moud.gov.in) पर उपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. Elimination of open defecation
2. Eradication of Manual Scavenging
3. Modern and Scientific Municipal Solid Waste Management
4. To effect behavioral change regarding healthy sanitation practices
5. Generate awareness about sanitation and its linkage with public health
6. Capacity Augmentation for ULB's
7. To create an enabling environment for private sector participation in Capex (capital expenditure) and Opex (operation and maintenance)

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के मुख्य मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :-

1. Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines;
2. Community toilets
3. Public toilets
4. Solid waste management
5. IEC & Public Awareness
6. Capacity building and Administrative & Office Expenses (A&OE)

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति एवं जिला स्तर व नगर स्तर पर समितियों का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

(A). राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee)

राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के प्रबंधन के लिये राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी	समिति में पद
1.	प्रमुख शासन सचिव त्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य

5.	प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य
6.	शासन सचिव पदेन आयुक्त, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
7.	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों।	सदस्य
8.	दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ./आर.डब्ल्यू.ए (राज्य सरकार द्वारा मनोनित)	सदस्य
9.	दो विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनित)	सदस्य
10.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
11.	निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (HPC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. राज्य की स्टेट सेनीटेशन स्ट्रेटेजी तैयार करवाकर उसका अनुमोदन करवाते हुये ऑनलाईन प्रकाशन करवाना।
2. राज्य की जिन शहरी निकायों द्वारा सिटी सेनिटेशन प्लान तैयार नहीं कराये गये हैं उनके प्लान तैयार करवाकर अनुमोदन करवाना।
3. स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीपीआर बनाये जाने हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित सलाहकार फर्मों को सूचीबद्ध करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान स्वतंत्र समीक्षा व निगरानी करना।
4. डीपीआर के अप्रैजल हेतु राज्य के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान जैसे आई.आई.टी. व एन.आई.टी. को सूचीबद्ध करना।
5. नगरीय निकायों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना।
6. लघु, मध्यम एवं लम्बी अवधि के फंड के प्रभाव हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना।
7. मिशन के तहत परियोजनाओं के फंड की किस्तों के लिए अभिशंका करना।
8. स्वीकृत परियोजनाओं की संचालन एवं संधारण का निगरानी पर निगरानी रखना एवं उनको पूर्ण कराना।
9. जारी की गई राशि का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने और मिशन की विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य समान रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करना।
10. कानूनी मुद्दों की समीक्षा करना।
11. राज्य में शहरी सफाई अभियान की पूर्णतः निवृत्ति हेतु समस्त विभागों में समन्वयन स्थापित करना।

(B) राज्य मिशन निदेशक (State Mission Director)

इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को मिशन निदेशक बनाया जाता है।

मिशन निदेशक द्वारा राष्ट्रीय मिशन निदेशालय से समन्वय कर उनके द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की नगरीय निकायों से पालना करवाना, मिशन के तहत योजना तैयार करवाना, उनका मुख्यांकन उपरान्त स्वीकृत कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराना आदि प्रमुख कार्य किये जायेंगे। साथ ही नगरीय निकायों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित करते हुये राष्ट्रीय मिशन निदेशालय नई दिल्ली को भिजवाई जावेगी।

(C) जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति (District Level Review and Monitoring Committee)

राज्य में जिले स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के प्रबंधन के लिये जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

11804 (111)

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि / अधिकारी	समिति में पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बन्धित	सदस्य
3.	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सम्बन्धित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सम्बन्धित जिला	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सम्बन्धित जिला	सदस्य
7.	दो विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8.	दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ./आर.डब्ल्यू.ए. (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9.	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित जिले की नगरीय निकाय	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जिला मुख्यालय नगरीय निकाय	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति (DLRMC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
2. जिले के अधीन आने वाली नगरीय निकायों से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को क्रियान्वयन कराना।
3. शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड समिति, एरिया सभा, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाईन के अनुसार मिशन के कार्यों को पूर्ण करना।

(D). सिटी लेवल निगरानी समिति (City Level Monitoring Committee) :-

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि / अधिकारी	समिति में पद
1.	महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगरीय निकाय	अध्यक्ष
2.	उपखण्ड अधिकारी, सम्बन्धित उपखण्ड	सदस्य
3.	दो निर्वाचित पार्षद, सम्बन्धित नगर निकाय (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
4.	अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
5.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
6.	शिक्षा अधिकारी शहर (प्राथमिक) संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
7.	शिक्षा अधिकारी शहर (माध्यमिक) संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य
8.	दो विषय विशेषज्ञ (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9.	दो प्रतिनिधि एन.जी.ओ./आर.डब्ल्यू.ए. (सम्बन्धित महापौर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र	सदस्य सचिव

11805  
सिटी लेवल निगरानी समिति (CLMC) द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा व निगरानी समिति द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
2. शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड समिति, ऐरिया सभा, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों और नागरीक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाईन के अनुसार मिशन के कार्यों को पूर्ण करना।

उक्त समितियां स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगी। "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा।

आज्ञा से  
र. पातिल  
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)  
उप शासन सचिव  
दिनांक :-

क्रमांक :- एफ.6 ( ) प्र.सू.वि./अनु-3/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राज. जयपुर।
11. शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
16. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
19. अधिक्षण अभियन्ता, समस्त जिला मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
20. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
21. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला मुख्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग।
22. उप खण्ड अधिकारी उप खण्ड \_\_\_\_\_ राजस्थान।
23. अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग .....।
24. चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी राजकीय चिकित्सालय.....।
25. शिक्षा अधिकारी, शहर माध्यमिक/प्राथमिक .....।
26. मुख्य अभियन्ता निदेशालय।
27. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
28. निदेशक विधि, निदेशालय।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल राजोडन्ती एरिया, लिखित लाईन्स फाउंडरी-समीर, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403 ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट - www.lsrj.org

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLH/ स्वच्छ भारत मिशन/15/ 9166

दिनांक :- 23.04.2015

## कार्यालय आदेश

"स्वच्छ भारत मिशन" (SBM) के दौरान किये जा रहे कार्यों में प्रचालित विहीन मकानों में शौचालय निर्माण, Community Toilets का निर्माण व ठोस कचरा प्रबंधन के सुचारु रूप से क्रियान्वयन मुख्य है। "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि खुले में शौच को खत्म किया जाये, मिशन अवधि के दौरान अस्वच्छकारी शौचालय नहीं बने व पिट शौचालयों को सेनेट्री शौचालयों में परिवर्तित किया जावे। प्रत्येक नगर में शौचालय विहीन मकानों में शौचालय निर्माण, अस्वच्छकारी शौचालयों व पिट शौचालय को भी पलश शौचालयों का निर्माण/परिवर्तित किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में आवश्यक जानकारी अंकित करते हुये स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर सम्बन्धित निकाय द्वारा अपलोड किया जायेगा।

सानुदायिक शौचालयों हेतु आवश्यक भूमि का चयन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जाना है। पुराने सानुदायिक शौचालयों के नवीनीकरण/परम्पत कार्य को शामिल किया जा सकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु वर्तमान में घर-घर कचरा संग्रहण, ऊधरे का परिवहन एवं परिसंस्करण हेतु 184 नगर निकायों को 111 बलस्टर में सम्मिलित करते हुए निविदायें Viability Gap Funding (VGF) के आधार पर आमंत्रित की थी, जिनका प्रभावी रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ है। इस हेतु निदेशालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

समस्त नगरीय निकायों में "स्वच्छ भारत मिशन" के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के दौरान उचित कार्यों के सतत पर्यवेक्षण एवं समीक्षा (Supervision & Monitoring) हेतु विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नम्बर	सम्बन्धित जिला
1.	डॉ. मनजीत सिंह	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	9414066455	डूंगरपुर
2.	पुरनाराज दिवाणी	निदेशक एवं पर्यवेक्षण सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	9314625342	बारा
3.	सांघता दिशताई	अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	9414152450	जयपुर
4.	प्रीती नाथुर	परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	9799497538	मरतपुर
5.	नीतू राजेश्वर	उप निदेशक (प्रशासन)	9829626000	दीप्ता
6.	के.के.सामा	मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग	9829194003	जैसलमेर बाडमेर

1189

7.	गिरीराज सिंह हाडा	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर	9414181770	बूंदी झालावाड
8.	अमित कराल	आति, मुख्य अभियन्ता, रुफडिको	9414072818	उदयपुर प्रतापगढ
9.	प्रदीप मैथानी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर	9414079648	नागौर टोंक
10.	आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय	9523109493	हनुमानगढ
11.	सुरेन्द्र सिंह मीणा	उपनिदेशक क्षेत्रीय (जोधपुर)	7597285511	जोधपुर पाली
12.	भवना राघव गुर्जर	उपनिदेशक क्षेत्रीय (कोटा)	9413901993	कोटा
13.	अनिल वाष्णीय	उपनिदेशक क्षेत्रीय (नरतपुर)	9414023006	घोलपुर
14.	सज्जु शर्मा	उपनिदेशक क्षेत्रीय (अजमेर)	9414358863	अजमेर
15.	डॉ. प्रीतिसिंह खवार	सहा. निदेशक (सतकर्ता)	9783805921	सीकर
16.	सुमनश गाधुर	अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर	9829155876	सिरोही
17.	नूपेन्द्र माधुर	अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, कोटा	9414266266	सवाई माधोपुर
18.	मुकेश पुजारी	अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, उदयपुर	9414159746	वासवाडा
19.	रमेश मीणा	अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, बीकानेर	7737559904	बीकानेर
20.	जी.एम. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, रुफडिको	9414059511	जलधर
21.	हेमन्त शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, रुफडिको	9782824088	चित्तौड़गढ
22.	शाग सिंह मीणा	संयुक्त, निदेशक (साख्यकी) निदेशालय	9414709950	राजसमन्द
23.	रजेश मीणा	अधिसायी अभियन्ता, निदेशालय	9414000020	श्रीगंगानगर
24.	गहेश मीणा	अधिसायी अभियन्ता, निदेशालय	9414427115	भीलवाडा
25.	सुनील रावसेना	अधिसायी अभियन्ता, निदेशालय	9829365682	धरोली
26.	मोहन लाल सेनी	अधिसायी अभियन्ता, (PHE) निदेशालय	9414057769	धुन्डुनू
27.	शिवराजसिंह पूनिया	अधिसायी अभियन्ता, (PHE) निदेशालय	9414441402	जालौर
28.	मुकेश जांगिड	सहायक नगर नियोजक, निदेशालय	9468585078	धुरु

उपरोक्त अधिकारी प्रत्येक माह में एक बार सम्बन्धित जिले की नगर निकायों का निरीक्षण करते हुए "स्वच्छ भारत मिशन" (SBM) के सफल क्रियान्विति हेतु सतत मॉनिटरिंग व सुपरविजन करेंगे

एवं मासिक रिपोर्ट निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेंगे।

यदि उनके आवंटित जिले की किसी नगर निकाय में 'स्वच्छ भारत मिशन' से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में कोई समस्या/कठिनाई सामने आती है, तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर व निदेशालय स्तर पर सम्पर्क कर उस समस्या का निराकरण करावेंगे।

उक्त अधिकारीगण को उनको आवंटित जिले की नगर निकायों का निरीक्षण करने हेतु संबंधित विभाग/निकाय की कार अथवा प्राइवेट टैक्सी कार उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं किराये/डीजल-पेट्रोल आदि का मुगतान सम्बन्धित जिले की नगर निकाय से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- तल्लान :- 1. दिशानिर्देश।  
2. प्रपत्र।  
3. सूची।

(पुरुषोत्तम बियाणी)  
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव  
१८

क्रमांक :- एफ 55( )Engg/CE/DLB/ स्वच्छ भारत मिशन/15/9167 - 9432 दिनांक :- 23.01.20

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सहायक, निदेशक स्थानीय निकाय, राज, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
9. उपनिदेशक (केन्द्रीय), समस्त राजस्थान।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री.....
11. सुरक्षित पत्रावली।

१०/१०४/२  
(के.के.रामा)  
मुख्य अभियंता  
१८



11809

38  
अनुच्छेद  
Annex-A/9  
114

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज, जयपुर

जी-3 राजगहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:- www.lspraj.org

क्रमांक :- एफ 55( )Engg/CE/DLI/ स्व. भा. अभि./15/ 10129-10313 दिनांक :- 30.04.2015

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिका  
समस्त, राजस्थान।

विषय :- नगरीय निकाय क्षेत्रों में "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था को सुदृढ किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 20694-20733 दिनांक 03.12.2014 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ बनाये जाने हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्देश जारी किये जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन नियमानुसार के तहत नगरीय क्षेत्रों में सफाई की नियमित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं, कि नियमित सफाई व्यवस्था हेतु नगरीय निकायों द्वारा निम्न कार्य करवाये जाये :-

1. सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं हेण्डलिंग रूलस 2000 व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एवं हेण्डलिंग रूलस 2011 के अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैंरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही की जावे एवं 'दोषी' व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाये।
2. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाई जावे।
3. सभी क्षेत्रों में रोड स्वीपींग हेतु लम्बे बांस के झाड़ू का प्रयोग किया जाये। छोटी झाड़ू काम में नही ली जावे।
4. घर-घर कचरा संग्रहण हेतु Light carrier vehicle (LCV) का उपयोग किया जावे। जिसमें गीले व सुखे कचरे को इकठा करने का अलग-अलग covered bin होने चाहिए। जिन स्थानों पर Light carrier vehicle (LCV) नही जा सकते हैं। उन स्थानों पर कन्टेनराइज्ड वील बेरोज/कन्टेनराइज्ड साइकिल रिक्शा का उपयोग किया जा सकता है। रोड स्वीपींग, नालियों से निकले मलवे इत्यादि को उठाने के लिए Covered tipper with loader का उपयोग कर इस मलवे को सीधे ही land fill site पर ले जाया जावे। Secondary storage container (1.1 CUM, 2.5 CUM, 4 CUM) का उपयोग करते हुए container lifting device (dumper placer, refuse compactor) का उपयोग किया जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार किराये पर साधन लिये जाकर कचरा संग्रहण एवं परिवहन की माकुल व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. नये ट्रेक्टर क्रय नही किये जावे, आवश्यकता पडने पर उपलब्ध ट्रेक्टर ट्रौली को त्रिपाल से ढककर कचरा परिवहन किया जावे। किसी भी स्थिति में कचरे का खुले में परिवहन नही किया जावे।
6. एकत्रित कचरे को प्रोसिंग प्लान/लेण्डफिल साईट पर ले जाया जाये, कचरे को जलाया ना जाये।
7. अस्थायी तौर पर मानव संसाधन (सफाई कर्मी) नियोजित किया जावे। दैनिक सफाई हेतु जिन क्षेत्रों में अब तक सफाई कर्मी नही लगाए गए हैं, वहां सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी लगाने जावे।
8. "स्वच्छता कार्यक्रम" के सफल संचालन हेतु गाननीय सांसदगण, विधायकगण व स्थानीय जन प्रतिनिधियों भामाशाह सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों आदि का भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

1180

9. नगर निकायों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की प्रभावी सफाई व मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा शीघ्र करवाया जावे एवं 5 वर्ष हेतु वार्षिक रखरखाव का प्रावधान किया जाये। शहर में सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय (महिलाओं के लिये अलग) बनाने के लिये स्थान चिन्हित करके कार्ययोजना तैयार की जावे। शहरों में विभिन्न स्थानों पर नवीन सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे। सामुदायिक शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव संचालन PPP आधार पर किया जावे। टॉयलेट्स में पानी व रोशनी की समुचित व्यवस्था हो। शौचालयों की शिकायत के संबंध में एस.एम.एस./हेल्प लाइन व्यवस्था प्रारम्भ की जाये।
10. आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य नगर निकायों के स्तर पर अथवा आउटसोर्स करके दुधे करवाया जावे।
11. शहरी क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित करने के लिये 'वेण्डिंग जोन' व 'वेण्डिंग जोन' घोषित करने हेतु जगह का चिन्हिकरण किया जावे।
12. शहर को सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू करने के लिये नगर निकाय मुख्यालय पर हैल्मलाईन, कन्ट्रोल रूम आदि की स्थापना कर वार्षिक गण, विद्युत समितियों से प्राप्त शिवगण व प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे।
13. शहरों में स्थित गार्डन, पार्कों की प्रभावी सफाई, मरम्मत व रखरखाव का कार्य नगर निगम/नगर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों अविलम्ब करवाया जावे एवं नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाये।
14. सड़कों के किनारे व रोड डिवाइडर के मध्य में तागे वृक्षों, झाड़ियों व फलों की कटाई-उटाई का सुनिश्चित किया जावे। डिवाइडर में लगे पौधों के मध्य पड़े कचरे व प्लास्टिक की थैलियों को हटाया जावे।
15. शहर की साफ सफाई को दुरुस्त रखने व सफाई के प्रति आम जन में जागरूकता लाने के लिये स्थानीय पार्श्वदा, मोहल्ला/कोलोनी विकास समितियों (RWAs) तथा इस कार्य से जुड़े एन.जी.ओ. आदि का भी सहयोग लिया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।




(पुरुषोत्तम बियाणी)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ स्व. भा. अगि./15/

दिनांक :- 30.04.15  
10314-10516

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
4. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
2015/4/29  
(के.के.शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता


## राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजनहल केन्द्र-एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

फोन नं. :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org

फाइल नं. :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/ 13983-14171



दिनांक :- 12-06-2015

आयुक्त/अधिसूची अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिका  
समस्त, राजस्थान।

विषय :- निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का बिना ढके परिवहन नहीं किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार परिवहन विभाग का पत्रांक प.22(250)परि/प्रवर्तन/ रिट/  
2015/8251 दिनांक 13.05.2015

विषयान्तर्गत लेख है, परिवहन विभाग माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एप्लीकेशन नं. 21/2014 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 की निरन्तरता में निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके अथवा भार क्षमता से अधिक नहीं करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। (निर्देशों की प्रति संलग्न है।)

अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत राजस्थान मोटर वाहन नियमों की पालना में बिना ढके निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन अनुमत्त नहीं किया जावे। साथ ही निर्माण सामग्री मलबा/कचरा परिवहन के पश्चात् वाहन को सही तरीके से सफाई के उपरान्त ही वाहन का संचालन किया जावे।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु वाहन चालकों/स्वामियों, ड्राइवर्स/कम्पनियों एवं लीज धारकों में निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का ढक कर एवं सुरक्षित परिवहन किये जाने का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

तम - उपरोक्तानुसार।

OM

(पुरुषोत्तम वियाणी)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

दिनांक :- 12-06-2015

- एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/ 14172-14439

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
  2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
  1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान।
  1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
  - निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन विभाग।
  - महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाएँ, राजस्थान।
  - संभागीय आयुक्त(समस्त), राजस्थान।
  - जिला कलेक्टर(समस्त), राजस्थान।
  - कार्यकारी निदेशक, रु फि ड को।
  - समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
  - संघीय उप निदेशक (समस्त), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
  - सुरक्षित पत्रावली।

2015/6/7  
(के.के. शर्मा)  
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org

क्रमांक: एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/14/स्व. मा. अभि/3201-40 दिनांक : 25.02.2015

1. संभागीय आयुक्त,  
(समस्त) राजस्थान।
2. जिला कलेक्टर,  
(समस्त) राजस्थान।

विषय:- नगरीय क्षेत्रों में "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत 09 मार्च से 27 मार्च, 2015 की अवधि में विशेष सफाई अभियान (Special Cleanliness Drive) के संबंध में।

प्रसंग :- विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 20694-20733 दिनांक 03.12.2014 के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग- 3) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति, जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी व सिटी लेवल निगरानी समितियों के गठन दिनांक 12.02.2015 को किये जा चुके हैं। (प्रति संलग्न - परिशिष्ट 'अ')

माननीय मुख्यमंत्री महोदयों द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी साफ-सफाई व्यवस्था करने के लिये 9 मार्च से 27 मार्च 2015 की अवधि में "विशेष सफाई अभियान" (Special Cleanliness Drive) प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

इस "विशेष सफाई अभियान" (Special Cleanliness Drive) के दौरान मुख्य रूप से निम्न कार्य करवाये जावे :-

1. नगर निकाय क्षेत्रों में पड़े हुये पुराने कचरे व मलबे को चिन्हित करते हुये उसको साफ करवाया जावे।
2. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम/जब्त करने की कार्यवाही की जावे।
3. शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे-मलबे के ढेरों को हटाया जावे।
4. आमजन में स्वच्छता व सफाई के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जावे।
5. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाई जावे।
6. अभियान अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पताल, डिस्पेंसरीज के परिसरों को साफ सुथरा रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।

11803


समस्त जिला कलेक्टरसं सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कार्य का निरीक्षण व कार्य का सुपरविजन व मोनेटरिंग करने हेतु निर्देशित करेंगे।

सम्पूर्ण अभियान अवधि में जिस नगर निकाय का कार्य उत्कृष्ट होगा (निगम स्तर पर, परिषद स्तर पर एवं पालिका स्तर पर) उस नगर निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष को राजस्थान दिवस 30 मार्च, 2015 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जावेगा। इसी प्रकार अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं जैसे- रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA)/एनजीओ/सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों, मौहल्ला विकास समितियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

राज्य की नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता दूत को नामित करने की कार्यवाही की जावे। इस अभियान के दौरान उपरोक्त कार्यों के साथ अन्य कार्य भी करवाये जायेगे जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।


इस अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे एवं महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, कार्यक्रम व सूचना स्वायत्त शासन विभाग की ई-मेल: [dlbrajasthan@gmail.com](mailto:dlbrajasthan@gmail.com) पर भिजवाना भी सुनिश्चित किया जावे।

मैं आशा करता हूँ कि आप इस "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम में व्यक्तिगत रुचि लेकर एवं जन प्रतिनिधियों व आम जन की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करते हुये इस "विशेष सफाई अभियान", (Special Cleanliness Drive) को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(सी.एस. राजन)  
मुख्य सचिव

क्रमांक: एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/14/स्व. भा. अभि./3241-3671 दिनांक : 25.02.2015  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण (समस्त)।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
14. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
16. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, समस्त राजस्थान।
18. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. मनजीत सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

11814

117

परिशिष्ट 'ब'

नगरीय क्षेत्रों में "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत 09 मार्च से 27 मार्च, 2015 की अवधि में विशेष सफाई अभियान (Special Cleanliness Drive) के दौरान सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न है :-

1. नगर निकाय क्षेत्रों में पड़े हुये पुराने कचरे व मलबे को चिन्हित करते हुये उसको साफ करवाया जावे।
2. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स की शोकाथम/जब्त करने की कार्यवाही की जावे।
3. शहर के Entry Points व मुख्य बाजारों में पड़े हुये कचरे-मलबे के ढेरों को हटाना।
4. आमजन में स्वच्छता व सफाई के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जावें।
5. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाई जावे।
6. इस सप्ताह के दौरान समस्त सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पताल, डिस्पेन्सरीज के परिसरों को साफ सुथरा रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।
7. शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को आपकी जिले की नगर निकायों में मार्गदर्शक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। ये मार्गदर्शक अधिकारी संबंधित निकायों की सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे व व्यवस्था में पायी गई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर व्यवस्था में सुधार करवायेंगे।
8. अभियान के क्रियान्वयन के लिये जिले के प्रत्येक नगरीय निकाय की जोनवार/वार्डवार कार्य योजना बनायी जावे।
9. कचरा उठाने हेतु आवश्यकतानुसार किराये पर वाहन यथा-ऑटो ट्रीपर, ट्रैक्टर-ट्रौली, डम्पर, जेसीवी, साइकिल पिक्सा, हैण्डकार्ट, आदि लगाये जावे।
10. अस्थायी तौर पर मानव संसाधन (सफाई कर्मी) नियोजित किया जावे। दैनिक सफाई हेतु जिन क्षेत्रों में अब तक सफाई कर्मी नहीं लगाए गए हैं, वहां सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी लगाये जावें।
11. व्यस्ततम बाजारों व घनी आबादी क्षेत्रों में रात्रि कालीन सफाई एवं कचरा उठाया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा प्रातःकालीन सफाई व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित की जावे।

11/6/15

12. आबादी क्षेत्र में एकत्रित कचरे को दो पारियों में हटाया जावे एवं पुनः कचरा आने की स्थिति में मोबाईल टीम गठित कर कचरा हटाया जावे।
13. समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञप्ति जारी करते हुये घर/दुकानों/प्रतिष्ठानों/रेस्टोरेन्ट्स व ढाबों आदि के सामने कचरा नहीं फैलाने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखे जाने हेतु पाबंद किया जावे। इसके बावजूद भी गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर शास्ति लगाने की कार्यवाही की जावे।
14. शहर में विभिन्न स्थानों पर पड़े मलबे को हटाये जाने हेतु नगर सुधार न्यास, शहरी विकास प्राधिकरण व अन्य विभागों का सहयोग लिया जावे।
15. शहर के Entry Points पर पड़े हुये कचरे-मलबे के ढेरों को हटाना एवं Entry Points को साफ-सुथरा करना।
16. स्वच्छता के बारे में समस्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों, सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरण कार्यक्रम आयोजित अधिकाधिक संख्या में आम जन की इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाना।
17. शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को नगर निकायों में मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जावे। ये मार्गदर्शक अधिकारी-अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी आदि हो सकते हैं।
18. "स्वच्छता कार्यक्रम" के सफल संचालन हेतु माननीय सांसदगण, विधायकगण व स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी व गैर सरकारी संगठनों आदि का भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
19. "स्वच्छता कार्यक्रम" की अवधि के दौरान की गई कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की फोटो कवरेज, प्रेस कवरेज आदि को राज्य सरकार के mygov platform पर दिनांक 09.03.2015 से अपलोड करना भी सुनिश्चित किया जावे।
20. नगर निकायों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की प्रभावी सफाई व मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा शीघ्र करवाया जावे। शहर में नये सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय (महिलाओं के लिये अलग) बनाने के लिये स्थान चिन्हित करते हुये कार्ययोजना तैयार की जावे। शहरों में विभिन्न स्थानों पर नवीन सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे। उक्त शौचालयों व मूत्रालयों का सुलभ इंटरनेशनल संस्था या अन्य किसी स्थानीय संस्था, BOA आधार पर, विज्ञापन अधिकार देते हुये निर्माण व रखरखाव करवाया जा सकता है। टॉयलेट्स में पानी व रोशनी की समुचित व्यवस्था हो।
21. आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य नगर निकायों के स्तर पर अथवा आउटसोर्स करते हुये करवाया जावे। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य हेतु कार्ययोजना तैयार कर विभाग को प्रेषित करावे।

22. शहरी क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित करने के लिये 'वेण्डिंग जोन' व 'नोन वेण्डिंग जोन' घोषित करने हेतु जगह का चिन्हिकरण किया जावे।
23. शहर की सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू करने के लिये नगर निकाय मुख्यालय पर हैल्पलाईन, कन्ट्रोल रूम आदि की स्थापना कर पार्श्वदगण, विकास समितियों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे।
24. शहरों में स्थित गार्डन, पार्कों की प्रभावी सफाई, मरम्मत व रखरखाव का कार्य नगर निगम/परिषद, विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अंविलम्ब करवाया जावे।
25. शहरों में बंद पड़े फव्वारों को चालू करवाया जावे। शहरों के मुख्य चौराहों, पार्कों, आईलेण्ड्स के सौंदर्यकरण व रखरखाव का कार्य इच्छुक निजी संस्था/बैंक/एन.जी.ओ. के माध्यम से गोद देकर करवाये जा सकते हैं।
26. सड़कों के किनारे व रोड डिवाइडर के मध्य में लगे वृक्षों, झाड़ियों व पौधों की कटाई-छंटाई का कार्य सुनिश्चित किया जावे। डिवाइडर में लगे पौधों के मध्य पड़े कचरे व प्लास्टिक की थैलियों को हटाया जावे।
27. पेयजल पाईप लाईन के लीकेज को रोकने के लिए शहर की पाईप लाईनों के लीकेज का सर्वे करवाया जाकर उसकी सूची जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध कराई जावे।
28. शहर में चल रहे रेन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिये समुचित आवश्यक व्यवस्थायें विशेष तौर से महिलाओं के रहने के लिये अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से रेन बसेरे में रियायती दर/निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।
29. नगर निकायों द्वारा करवाये गये मैनुअल स्केवेंजर्स व अस्वच्छकारी शौचालयों के सर्वे सूचियां को जिला/शहरी स्तरीय कमेटियों से अनुमोदन उपरान्त नोटिफिकेशन जारी करते हुये सूची प्रेषित करने की कार्यवाही की जावे।
30. शहर की साफ सफाई को दुरुस्त रखने व सफाई के प्रति आम जन में जागरूकता लाने के लिये स्थानीय पार्श्वदी/मोहल्ला/कॉलोनी विकास समितियों (RWAs) तथा इस कार्य से जुड़े एन.जी.ओ. आदि का भी सहयोग लिया जावे।
31. सफाई कार्य के पहले व बाद की स्थिति की फोटोग्राफी की जावे।
32. इस "विशेष सफाई अभियान" (Special Cleaness Drive) की अवधि 09 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक रहेगी।



19/11/15  
 11817

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) नगर निगम जयपुर

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हा. लन) नियम 2000 की पालना में घर घर से कचरा एकत्रित करने एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन करने हेतु जयपुर शहर के लिये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का रोड मैप:-

नगर निगम जयपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथलन) नियम 2000 की पालना तथा स्वच्छ भारत मिशन हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में निम्ननुसार दो चरण में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

- 1 जयपुर शहर के लिये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रथम चरण-घर घर से कचरा संग्रहित करना

नगर निगम जयपुर द्वारा शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिये घर-घर कचरा संग्रहण कर कचरे को परिवहन करते हुये प्रोसेसिंग युनिट तक ले जाने हेतु निम्नानुसार 7 पैकेजों में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

S. No.	Cluster No.	Package No.	Name of Package	Population (As per census 2011)	Qty of garbage generated @ 400 grn p.capita p day (in MT)	Cost of solid waste management @ Rs 1000 p MT p day (in Lacs)	Cost of solid waste management p Year (in Lacs)	Cost of solid waste management for 5 Year (in Lacs)	Bid Security @2% (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65	1	Mansarovar Zone	352627	141.05	1.41	514.84	2574.18	51.48
		2	Moti Doongari Zone	296373	118.55	1.18	432.70	2163.52	43.27
		3	Vidhyadhar Nagar Zone	726309	290.52	2.91	1060.41	5302.06	106.04
		4	Sanganer Zone	424564	169.83	1.70	619.86	3099.32	61.99
		5	Civil line Zone	541362	216.54	2.17	790.39	3951.94	79.04
		6	Hawa Mahal (East) Zone	357456	142.98	1.43	521.89	2609.43	52.19
		7	Hawa Mahal (West & Amer) Zone	343216	137.29	1.37	501.10	2505.49	50.11

11/9/15

उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी बिड 15.04.2015 को 15.00 Hrs तक प्राप्त की जानी थी तथा दिनांक 16.04.2015 15.00 Hrs को खोली जानी प्रस्तावित थी। यह निविदाये वी.जी.एफ (वाईबिलिटी गैप फण्ड) के रूप में प्राप्त होगी। जिसमें भारत सरकार के द्वारा 20.0 प्रतिशत एवं राज्य सरकार के द्वारा 6.0 प्रतिशत राशि रवचछ भारत मिशन के तहत प्राप्त होगी तथा इसमें घर घर से भी सहयोग राशि अंशदान के रूप में ली जायेगी एवं परियोजना की लागत की शेष रही राशि संवेदक द्वारा वी.जी.एफ (वाईबिलिटी गैप फण्ड) के रूप में अंकित की जायेगी।

संवेदक द्वारा निगम जयपुर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में प्राईमरी कचरा संग्रहण के रूप में डस्टबिन एवं सैकेण्डी कचरा संग्रहण के रूप ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन स्थापित करते हुऐ समस्त प्रकार के कचरे का परिवहन प्रोसेसिंग युनिट/लैण्डफिल साईट तक करेगा। जिसके कारण शहर में कचरा उठाने की समस्या समाप्त हो सकेगी एवं समय पर कचरा उठ सकेगा।

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं हेतु प्रस्तावित Time Schedule निम्न प्रकार प्रस्तावित था।

S.No	Activities	Time Schedule
01	Tender submission date for door to door collection	15 April 2015
02	Tender opening date for door to door collection	16 April 2015
03	Finalisation of Tender and issuing work order	16 June 2015
04	After issuing work order Start Project planning and developing	1 July 2015
05	1- Start door to door collection in wards as may be indicated by the authority 2- Commence secondary storage of waste in 30% of the area allocated as per the priority indicated by the municipal authority	15 September 2015
06	1- Commence door to door collection in remaining words of ULB. 2- Commence Secondary storage of waste in remaining 70% of the areas allotted as per the priority indicated by the municipal authority	15 December 2015

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दिनांक 16.04.2013 को उपरोक्त कार्य हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई एवं किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया।

114

11819

उपरोक्त कार्य हेतु पुनः एक ही कलस्टर बनाकर पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसका प्रस्तावित Time Schedule निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

S.No	Activities	Time Schedule
01	Tender submission date for door to door collection	1 Augst. 2015
02	Tender opening date for door to door collection	2 Augst 2015
03	Finalisation of Tender and issuing work order	15 September 2015
04	After issuing work order Start Project planning and developing	15 Nov.. 2016
05	3- Start door to door collection in wards as may be indicated by the authority 4- Commence secondary storage of waste in 30% of the area allocated as per the priority indicated by the municipal authority	1 Feb 2016
06	3- Commence door to door collection in remaining words of U.T.B. 4- Commence Secondary storage of waste in remaining 70% of the areas allotted as per the priority indicated by the municipal authority	1 May 2016

2 जयपुर शहर के लिये सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट का द्वितीय चरण :  
सॉलिड वेस्ट निस्तारण (प्रोसेसिंग) का कार्य -

नगर निगम जयपुर द्वारा निम्नानुसार प्रत्येक जोन से प्राप्त होने वाले कचरे की मात्रा प्रतिदिन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं	जोन का नाम	कचरे की अनु. मात्रा
1	मानसरोवर जोन	141.05 M.T. प्रतिदिन
2	मोती झुंगरी जोन	118.55 M.T. प्रतिदिन
3	विद्याधर नगर जोन	290.52 M.T. प्रतिदिन
4	सांगानेर जोन	169.83 M.T. प्रतिदिन
5	सिविल लाईन जोन	216.59 M.T. प्रतिदिन
6	हवामहल जोन (पूर्व)	142.98 M.T. प्रतिदिन
7	हवामहल जोन (पश्चिम) व आमेर जोन	137.29 M.T. प्रतिदिन
	कचरे की कुल अनुमानित मात्रा	1189.91 M.T. प्रतिदिन Say 1200.00 M.T

3

11862  
कुल प्राप्त कचरे में से लगभग 600 M.T. कचरे की प्रोसेसिंग के लिये निगम द्वारा वर्तमान में निम्न प्लान्ट स्थापित किये जा चुके हैं।

- (A) सेवापुरा में कम्पोस्टिंग प्लान्ट आई एण्ड एल एफ एस के द्वारा स्थापित किया गया है। जिसकी क्षमता 250 मीट्रिक टन प्रतिदिन की है।
- (B) लागंडियावास में आर. डी. एफ. प्लान्ट ग्रासिम के द्वारा 2007 में स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता उपयोग ग्रासिम द्वारा सीमेंट फैक्ट्री में फयूल के रूप में किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अंकित (A) व (B) अनुसार वर्तमान में कुल उत्पन्न कचरे की मात्रा 1200 मैट्रिक टन में से कुल 600 मैट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, शेष रहे कचरे की मात्रा 600 मैट्रिक टन के निस्तारण हेतु निगम स्तर पर वेस्ट टू एनर्जी परियोजना हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्तानुसार कुल प्राप्त कचरे का वैज्ञानिक एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार योजना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कुल मात्रा में से 600 मीट्रिक टन कचरे से प्रोसेसिंग कर विद्युत उत्पन्न करने की संभावना के लिये आर.एफ.पी. (Request For Proposal) प्राप्त किये गये हैं। जिसमें सलाहकार संवेदक द्वारा कचरे से विद्युत उत्पन्न करने के लिये फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जायेगी। Request For Proposal प्रपत्र के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु कुल 40 सप्ताह का समय निर्धारित है।

नगर निगम जयपुर द्वारा नियुक्त सलाहकार से कार्य एवं टोस अपशिष्ट प्रबन्धन की आवश्यकता को देखते हुये सलाहकार फर्म से चर्चा करने के पश्चात फर्म से पूर्ण फिजिबिलिटी रिपोर्ट माह अगस्त 2015 तक प्राप्त कर ली जावेगी। तत्पश्चात नगर निगम जयपुर द्वारा पी.पी.पी. मोड के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अपना कर निविदाकार का चयन किया जावेगा। जिस प्रक्रिया में लगभग दो माह का अतिरिक्त समय लगेगा। चयनित निविदाकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट स्थापित कर प्रति घण्टा 11 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न होने की संभावना है और निगम को इससे आय भी प्राप्त होगी।

11821

वेस्ट टू एनर्जी हेतु चयनित सलाहकार फर्म द्वारा कचरे से विद्युत उत्पन्न करने के लिए फिजिविलिटी रिपोर्ट बनाकर देने हेतु प्रस्तावित Time Schedule निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था:

S.No.	Activity	Time Schedule
01	Consultant Appointed and issue work order for preparing Detailed project Report of waste to energy	23 March 2015
02	Supplementary Inception Report	6 April 2015
03	Report on Handling of MSW	27 April 2015
04	Report on Sanitary Landfill site	11 May 2015
05	Report on transfer stations and compost plants/RDF facility and power stations	18 May 2015
06	Report on Environment and Social Impact Assessment	11 June 2015
07	Draft Feasibility Report including Schedules A, B, C, D and H to the Concession Agreement	11 June 2015
08	Final Feasibility Report	22 June 2015
09	Manuals of Standards and Specification	06 July 2015
10	Completion of Services including assistance during Bid Process	28 December 2015
11	Singing of Concession agreement	11 January 2016
12	Construction & Commissioning Period of Waste to Energy Plant	10 October 2016

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित निर्धारित टाइम शिड्यूल में बिन्दु संख्या 1 अनुसार सलाहकार की नियुक्ती हो चुकी है एवं बिन्दु संख्या 2 अनुसार सलाहकार द्वारा इनसेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है एवं क्रम संख्या 3,4,5 के अनुसार सलाहकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है।

19/5/15  
X. Ex (Project)

Government of Rajasthan  
Local Self Government Department  
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur

Tel No.: +91 141 2222469

Fax No.: +91 141 2222403

web site : www.lsgraj.org

No: F 55 ( ) Engg./CE/DLB/SBM/Preparation of CSP and DPR for ISWM/2014/ 11756-819 Date 18-05

Commissioner/Executive Officer  
Municipal Corporation/Council/Board

Bikaner Sara, Vijay agar, Rajah, Viratnagar, Shalipura, Tijara, , Desnok, Gangapur, Mandalgarh, Asind, Deeg, Nagar, Kama, Wair, Sangod, Bhusawar, Mangrol, Sangod, Nainwa, Idergarh, Kapren, Fatehnagar, Bhinder, Kanod, Ratannagar, Bisau, Bidaşar, Rajaldesar, Bari, Srikaranpur, Kesarisinghpur, Gajsinghpur, Padampur, Anoopgarh, Bhadra, Phalodi, Pokran, Chaksu, Bagru, Chomu, Fulera, Jobner, Kishangarh-Renwal, Sambhar, Surajgarh, Khetri, Srimadhampur, Ramgarhshekhawati, Jaitaran, Bali, Falna, Sadri, Rani, Takhatgarh, Mundwa, Losal, Begun, Amet, Devgarh, Malpura, Salumbhar, Kalthoon, Ramganjmandi,

Sub: Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) for Integrated Solid Waste Management under Swachh Bharat Mission (SBM) 2014

Ref: Guidelines Issued by MoUD GoI for Swachh Bharat Mission (SBM) in Dec. 2014

In connection of above subject GOI has launched Swachh Bharat Mission (SBM), The Mission will be in force till 2<sup>nd</sup> October 2019. The Mission has the following components viz: Household toilets, including conversion of insanitary latrines into pour-flush latrines; Community toilets Public toilets, Solid waste management IEC & Public Awareness and Capacity building and Administrative & Office Expenses (A&OE).

For effective implementation of the Swachh Bharat Mission Detailed Project Reports (DPR) for Integrated Solid Waste Management along with City Sanitation Plans (CSPs) should be required as per the guidelines of MoUD. DPRs and CSPs are under preparation for most of ULBs for remaining ULBs process for hiring consultancy should be started. MoUD, GoI has provided a list of Empanelled Agencies list for providing technical support to the ULBs for solid waste management. ULBs may consider to avail this panel of agencies for preparing DPRs. However, ULBs will verify before award of work to any of the empanelled agencies to ensure that it is not debarred by any Government/Department for award of work.

Therefore you are requested to start process for and Detailed Project Report (DPR) for Integrated Solid Waste Management along with Preparation of City Sanitation (CSP) under Swachh Bharat Mission (SBM) 2014.

Encl: As above

(Purushottam Blyani)  
Director cum Joint Secretary

No: F 55 ( ) Engg./CE/DLB/SBM/Preparation of CSP and DPR for ISWM/2014/  
Copy to followings for Information & NA

dated 18-05-2015  
11820-942

1. PS to Principal Secretary LSG, GoR
2. Mayor/President/Chairman
3. PS to Director cum Joint Secretary, LSG, GoR
4. PS to Mission Director (SBM) Ministry of Urban Development Nirman Bhawan, New Delhi 110011
5. Chief Accounts Officer, DLB
6. Chief Engineer, DLB
7. Deputy Director (Regional) .....
8. ACE/CE/SE/EE Municipal Corporation/Council/Board all
9. CHAR with the request to upload on website
10. Guard file

Chief Engineer

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लोईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/11965-12149

दिनांक :- 21/05/15

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिका  
समस्त, राजस्थान।

विषय :- टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत निविदाये आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप वाइबिलिटी गैप एड्डींग (वीजीएफ) आधार पर घर-घर कचरा संग्रहण, परिवहन एवं प्रोसेसिंग हेतु निविदाये आमंत्रित की गई थी। सभी निकायों (जयपुर, जोधपुर, कोटा हेतु प्रोसेसिंग के अलावा) को 111 कलस्टर्स में विभाजित करते हुये निविदाये आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदाओं में तीन कलस्टर्स हेतु एकल निविदाये प्राप्त हुई। निविदा में निविदादाताओं की गीदारी बढ़ाने हेतु संभावित निविदादाताओं के साथ निदेशालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ये विचार विमर्श के आधार पर रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (आर.एफ.पी.) को संशोधित करते हुये नगर निकाय पर निविदा आमंत्रित की जानी है। बैठक कार्यवाही विवरण पूर्व में आपको भेजा जा चुका है। पुनः निविदाये आमंत्रित किये जाने से पूर्व Indicative Steps and Timelines के आधार पर RTPP Act 2012 & Rules 2013 के अध्यक्षीन कार्यवाही करने हेतु Indicative Steps and Timelines की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि Draft Request for Proposal के आधार पर पैकेज वाइज यमानुसार निविदाये आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही संपादित करावे, जिससे की स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग हो सकें।

- लग्न :-
1. बैठक कार्यवाही विवरण।
  2. Draft RFP.
  3. Indicative Steps and Timelines.

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव .

दिनांक :- 21/05/15

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/12150-12102

तेलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त, राज।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(के के शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता

11824 232  
 (118)

**indicative Steps and timelines for ULBs - single stage (two envelop bidding) for solid waste management on VGF basis**

No	Event Description	Estimated Date	Remarks
	Finalization of City Sanitation Plan (CSP). Detailed Project Report (DPR) for Integrated Solid Waste Management	Up to 31.05.2015	Earlier directions have been issued to all ULBs for preparation of CSP and DPR
	Preparation of Request for Proposal (RFP) for Package I: door to door collection and transportation of waste up to processing/landfill facility, Package2: Processing and disposal of waste (except Jalpur, Kota and Jodhpur) by concerned ULBs/cluster head ULBs	Up to 15.06.2015	Draft RFP document has already been provided to Cluster head ULB/ULB
	Approvals of the RFP by the Committee (ULBs level) as per RTPP Act & Rules	16.06.2015	
	Publication of RFP by concerned ULBs/cluster head ULBs i. News Papers ii. State Public Procurement Portal iii. Eproc website	20.06.2015 (Zero date)	Publication of notice inviting RFP in newspapers, uploading of notice inviting RFP and RFP on sPPP & eproc
	Pre Bid Meeting	+10 days	
	Issue of clarification of queries and addendum/corrigendum	+15 days	
	Bid submission due date	+30 days	
	Opening of Technical bid	Within one day of last day of submission of bids.	
	Preparation of technical evaluation report	Within three days of opening of technical bid	
	Meeting of Technical Evaluation Committee & declaration results of technical bid evaluation	Within five days of opening of technical bid	
	Opening of Financial bid of technically qualified bidders	Within seven days of declaration results of technical bid evaluation	
	Preparation of financial bid evaluation report (comparative chart etc) and upload on State Public Procurement Portal	Within two days of financial bid evaluation	
	Meeting of evaluation committee and announcement of successful bidder	Within five days of financial bid evaluation	
	Approval of the lowest rates	Within ten days of announcement of successful bidder	



11825 133 (119)

15.	Issue of letter of award	Within three days of approval of award by the competent authority	
16.	Execution of contract agreement	Within thirty days of issue of letter of award	
17.	Issue of work order	Within one day execution of contract agreement.	
18.	Declaration of the bid results on State Public Procurement Portal	Within three days of issue of letter of award	
19.	Commencement of the work	Within seven days of issue of work order	


Note: All provisions of the RTPP Act 2012 and Rules 2013 should be applicable for entire bidding process.

## राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org



क्रमांक :- एफ 55( ) Engg./CE/DLB/SBM/Kota/15/ 20423

दिनांक :- 29/07/15

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) क्रियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजिविका मिशन (NULM) चौहवें वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति एवं प्रति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान संभागीय आयुक्त, कोटा जिला कलेक्टर कोटा, आयुक्त नगर निगम कोटा, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) कोटा सचिव नगर विकास न्यास कोटा कोटा संभाग की निकायो के आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे।

निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रुडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहें।

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की।

खुले में शौच मुक्त :- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015-16 में खुले में शौच मुक्त निकाय बनाया जावे। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढ़ाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायो को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :- स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मों द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावे। घर-घर कचरा संग्रहण एव कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

11821

2017 तक जाने  
इफिलियन्ट सर्विस  
आईटी (LED) प्रो  
जर्ना बचत हेतु

Feasibility Report तुरन्त तैयार करवाने एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर Waste to Plant लगाये जाने की निविदायें आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही Cleanliness चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें सामान्य तथा शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत फेस्टबैनर हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक केरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जावे।

औसत अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 के प्रावधानों अन्तर्गत आवश्यक भूमि की व्यवस्था हेतु जिला कलक्टर एवं आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी नगर परिषद/पालिका को निर्देश दिये गये।

**Information Education & Communication (IEC) :-** स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है जो कि शौचालय निर्माण पूर्व निर्माण के दौरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि वो इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधियाँ कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**Capacity Building :-** स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षदों को, MLAs को, Mayors को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Targe Line (स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान -स्वच्छ..... (नगर निकाय को नाम) को लगाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**चौदवे वित्त आयोग :-** चौदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रांट एवं प्रफोरमेन्स ग्रांट के लिए आवश्यक रिफॉर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढ़ाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षों में बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। निकायों के लम्बीत ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावे। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

**National Urban Livelihood Mission (NULM) :-** NULM के घटकों की क्रियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की क्रियान्विति हेतु नगर निकायों को समयवद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयवद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRV अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नहीं करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावे।

Online Meeting Note  
स्टैटमेंट की

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PMU कम्पनी से MoU किया गया है जो वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार मगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नहीं हुआ है उनका MoU करवाये जाने की कार्यवाही की जावे। झालावाड़ शहर में लगाये गये LED लाईट का MoU की शर्तों के अनुरूप परीक्षण कर कार्य की रिपोर्ट दी जावे। कोटा शहर में LED लाईट लगाने हेतु कार्यवाही चालू की जावे जिससे 14.8.2015 को कार्य का उद्घाटन करवाया जा सकें।

कोटा संभाग में प्रस्तावित सरकार आपके द्वारा हेतु सभी आवश्यक तैयारी कर ली जावे साथ ये भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक निकाय द्वारा बोर्ड की मितिग नियमित रूप से आयोजित की जावे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यों की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। जिसका टोल फ्री नं. 18001806127 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ्री नम्बर की सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टाफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि जिला कलेक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदों पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये है।

अतिरिक्त परियोजना निदेशक द्वारा कोटा संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में बताया गया तथा कोटा शहर की सीवरेज के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कोटा शहर के बचे हुये क्षेत्र हेतु सीवरेज की DPR बनाये जाने की आवश्यकता बताई गई। इस हेतु नगर निगम, कोटा को निर्देश दिये गये।

प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया

उप निदेशक (क्षेत्रीय) कोटा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता विश्णोई)  
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Kota/15/20424-20471 दिनांक :- 29/07/15  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, कोटा।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, कोटा।